रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 836] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 12, 2017/आश्विन 20, 1939
No. 836] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 12, 2017/ASVINA 20, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 1246(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी सचिव क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते नियम, 2006 के साथ पठित कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 490(अ), तारीख 13 जुलाई, 2007 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (2) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"2 श्री आशीष कुशवाहा, सदस्य"
निदेशक, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001.

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 3(4)/प्रकीर्ण/2015-पीआई]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 490(अ), तारीख 13 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा.का.नि. संख्यांक 68(अ), तारीख 6 फरवरी, 2012, सा.का.नि. 564(अ), तारीख 21 अगस्त, 2013, सा.का.नि. 323(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2015, सा.का.नि. 969(अ), तारीख 15 दिसम्बर, 2015, सा.का.नि. 328(अ), तारीख 22 मार्च, 2016 और सा.का.नि. 539(अ), तारीख 23 मई, 2016 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2017

G.S.R. 1246(E).—In exercise of the powers conferred by section 29A of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), read with rules 8, 9 and 10 of the Company Secretaries Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and Allowances of the Chairperson and Members of the Board Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, number G.S.R. 490(E), dated the 13th July, 2007, namely:—

In the said notification, for serial number (2) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"2 Shri Ashish Kushwaha, Director, Ministry of Corporate Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi-110001. Member".

2. This notification shall take effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 3(4)/Misc./2015-PI

K.V. R. MURTY, Jt Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 490(E) dated 13th July, 2007 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 68(E), dated 6th February, 2012, G.S.R. 564(E), dated 21st August, 2013, G.S.R. 323(E), dated 27th April, 2015, G.S.R. 969(E), dated 15th December, 2015, G.S.R. 328(E), dated 22nd March, 2016 and G.S.R. 539(E), dated 23rd May, 2016.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.10.13 22:31:33 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.